

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्या: 16/2021

GCMS No.—2021/00025

किसन लाल पुत्र केसरा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कोल्याणा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांत

बनाम

तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील कार्यालय जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट



अपील अर्न्तगत धारा 75 विरुद्ध आदेश दिनांक 16.03.2021 प्रकरण अर्न्तगत धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर उनवानी प्रकरण सरकार बनाम किसनलाल मुकदमा नं० 99/21 में पारित आदेश के विरुद्ध।

उपस्थित:-

1. श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता अपीलांत की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 24.08.2021

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16.03.2021 से अपीलांत द्वारा ग्राम कौल्याणा, तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 425 रकबा 6.08 हैक्टेयर किस्म गै.मु.नाला में से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर पडत कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांत को अतिचारी मानकर उक्त आराजी किस्म गै.मु.नाला भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 0.16 रुपये का 50 गुना 8 रुपये बतौर शास्ति आरोपित कर अतिक्रमी अपीलांत को मौके से बेदखल करने तथा अतिक्रमी अपीलांत को मौके से बेदखल करने एवं साथ ही अपीलांत पश्चातवर्ती अतिचार होने के कारण अपीलांत को एक माह (30 दिवस) की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांत ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांत प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांत एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरुद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचित किये बिना मुकम्मिल तामील व जवाबदेही का अवसर दिये आनन-फानन में अपीलांट को पुनः अतिक्रमी मानकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.03.2021 पारित कर बेदखल, तथा सिविल जेल कारावास 1 माह के दण्ड से दण्डित करते हुए आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट स्वयं अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। बिना सीमा ज्ञान करवाये अपीलांट का अतिक्रमण स्पष्ट नहीं होता है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रोपेर तामील नहीं करवायी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरुद्ध सर्वथा झूठी रिपोर्ट पेश की गई एवं अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली क्रमांक 99/21 उनवानी सरकार बनाम किसनलाल में दिनांक 16.03.2021 को पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै.मु.नाला दर्ज है। अपीलांट के विरुद्ध धारा 91(3) के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट को राजकीय भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 16.03.2021 को पारित किये गये हैं। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण अपीलांट को एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये हैं, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का ग्राम कौल्याणा तहसील जमवारामगढ स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 6.08 हैक्टेयर किस्म गै0मु0नाला में से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जिसके पश्चात अपीलांत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत स्वयं अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को राजकीय भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण एक माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 16.03.2021 को पारित किए गए। अपीलांत द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राजस्थान भू राजस्व अधि० की धारा 91 के तहत अपीलांत के विरुद्ध कार्यवाही की है जो नियमानुसार उचित है। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांत द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि अपीलांत द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है किन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को साक्ष्य, सबूत पेश करने अवसर प्रदान नहीं किया गया और अपीलांत की अनुपस्थिति में ही उसे राजस्थान भू राजस्व की धारा 91(3) के तहत एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलांत को दी गई एक माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा प्रकरण संख्या 99/2021 बउनवानी सरकार बनाम किसनलाल में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2021 से एक माह (30 दिवस) सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति कलेक्टर-प्रथम
अति. सिला कलेक्टर-प्रथम
कलेक्टर-प्रथम

